न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(प्रथम)/महिला उत्पीड़न भदोही।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–573 सन् 2026

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.10018052026

दिनेश कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र हरिनाथ, निवासी प्रजापतिपुर, थाना–भदोही, जनपद–भदोही। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–146 सन् 2026
धारा–80(2),85 बी०एन०एस० व
धारा–3/4दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–भदोही,जनपद–भदोही।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त दिनेश कुमार की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–146 सन् 2026, धारा–80(2),85भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,थाना भदोही जनपद भदोही के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा दिनेश कुमार ने दिनांक 01.04.2026 को समय 14.15 बजे थाना भदोही पर लिखित तहरीर देकर कथन किया कि वह निवासी चिउटहियॉ डोमनपुर थाना भदोही जिला भदोही का रहने वाला है। उसके पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गयी थी। उसकी बहन पूनम का विवाह दिनेश कुमार पुत्र हरीनाथ निवासी प्रजापतिपुर थाना भदोही जिला भदोही के साथ दिनांक 05.11.2025 को हुई थी। शादी में उसके परिवार,रिश्तेदार व पड़ोसियों ने मिलकर उपहार व गृहस्थी का सारा सामान व नकद रुपया दिया था किन्तु पूनम की सास कुसुम देई,ससुर हरिनाथ, जेठ संतोष व उनकी पत्नी व जेठ अशोक कुमार व उनकी पत्नी पूनम देवी व ननद सुमन जो मायके में ही रहती है, उपहार में मिले सामानों से संतुष्ट नहीं थे। पांच लाख रुपये नकद की मांग को लेकर उसकी बहन को बराबर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 27.03.2026 को उसकी बहन पूनम को उसके ससुराल वाले विदा कराके ले गये तथा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए उसे जान से मार दिया। पूनम की मृत्यु

उसके ससुराल के घर में हुई है। वादी व उसके परिवार को सूचित भी नहीं किया कि पूनम की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुयी है। अतः पूनम के पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी व ननद के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया। वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–146 सन् 2026, धारा–80(2),85 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–80(2) 85 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आधार जमानत एवं तर्क में कहा गया है कि उपरोक्त अपराध में उसे झूंठे ही फंसाया गया है,वह बेगुनाह है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। वादी ने अभियुक्त व उसके परिवार के लोगों के विरुद्ध झूंठे आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। अभियुक्त व उसके परिवार के लोगों ने वादी मुकदमा की बहन पूनम को दहेज के लिए न तो प्रताड़ित किया, न उसकी हत्या किया ना पूनम को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया और न उसके साथ कोई घटना कारित किया। अभियुक्त को पुलिस उसके घर से बुलाकर ले गयी और बिना किसी साक्ष्य के उसका चालान किया है। अभियुक्त ने पूनम को प्रेम व्यवहार से रखा उसे बराबर खाना कपड़ा दिया। पूनम को किसी ने किसी प्रकार का न ताना दिया, न मारा पीटा है, न कोई दहेज की माँग किया न उसे कोई शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया। शादी के बाद जब पूनम विदा होकर अभियुक्त के घर आयी तो शुरु से ही सरदर्द,बेचैनी,चक्कर आने की बराबर शिकायत करती थी और कभी– कभी उसे चक्कर आ जाता था और वह बेहोश हो जाती थी, जिसकी सूचना अभियुक्त ने फोन से पूनम के मायके दिया तो उसके भाई ने कहा कि पूनम को मानसिक बीमारी है, जिसका दवा इलाज मनो चिकित्सक डॉ० चिन्मया हर्ष के द्वारा किया जा रहा है और पूनम के भाई ने पूनम का दवा का मेडिकल पर्चा दिया,जिसके आधार पर वह पूनम का दवा इलाज कराता रहा। मानसिक बीमारी से अवसादग्रस्त हो गयी थी। जब अभियुक्त के भाई अशोक की पत्नी पूनम का बरौत जिला इलाहाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती थी, वहीं उसका भाई अशोक भी था, अभियुक्त दिनांक 31.03.2026 को अशोक कुमार की पत्नी पूनम को देखने अस्पताल गया और वहीं से इलाहाबाद चला गया और उसके माता पिता व परिवार के लोग काम के सिलसिले में बाहर थे तो मानसिक बीमारी से अवसादग्रस्त होकर मृतका पूनम ने गले में फंदा लगाकर छत से लटक गयी और आत्महत्या कर लिया,जिसकी सूचना मृतका के भाई दिनेश को दी गयी, वह परिवार के साथ आये और साजिशन रंजिशन झूंठे आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 02.04.2026 से

जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है और अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की बहन पूनम को अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर दहेज हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. वादी मुकदमा की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी ने अपनी बहन पूनम की शादी अपने पिता की मृत्यु के कारण पिता धर्म का निर्वहन करते हुए दिनांक 05.11.2025 को अभियुक्त दिनेश कुमार के साथ सम्पन्न किया था और शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप घर गृहस्थी के सामान व जेवरात सोने चांदी, पेटी, कपड़ा व नकद रुपया व मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर उपहार स्वरूप शादी में दिया। दहेज में मिले सामानों से अभियुक्त व उसके परिवारीजन खुश नहीं थे और उसकी बहन पूनम को दहेज में पांच लाख रुपये की नकद मांग आपस में एक राय होकर करने लगे, न मिलने पर आशयपूर्वक उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक रुप से क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करने लगे। बहन के द्वारा सूचना देने पर उसने स्वयं अन्य रिश्तेदारों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया परन्तु ये लोग संतुष्ट नहीं थे और उसका भाई जो हाल चाल लेने बहन के ससुराल गया, बहन के सामने उसे बेईज्जत कर उसकी बहन को मायके में भेज दिया। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त दहेज की मांग पूरा न होने पर सुनियोजित तरीके से दिनांक 31.03.2026 को करके आपसी सहयोग से ससुराली घर में ही फांसी पर लटका दिया, जिससे आत्म हत्या का रुप दिया जा सके। मृतका के मृत्यु की सूचना ससुराल पक्ष वाले मायके में न देकर किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से दिया, सूचना पर वह स्वयं नात रिश्तेदार के साथ बहन पूनम के घर गया तो देखा कि उसकी बहन मृत अवस्था में बेड पर पड़ी थी, उसके नाक से खून बह रहा था जीभ निकला हुआ था हांथ में अकड़न थी, साड़ी अस्त व्यस्त अवस्था में थी। गले में काले रंग की साड़ी ढ़ीली अवस्था में लपेटा गया था। घटना की तत्काल सूचना थाना भदोही पुलिस को बहन के संदिग्ध मृत्यु के बारे में दिया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी बहन के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही किया। वादी की बहन इण्टरमीडिएट व बी०ए०पास समझदार महिला थी। अभियुक्त द्वारा उसकी बहन की हत्या दहेज लोभ के कारण आत्म हत्या का रुप दिखाया गया है जो शादी के पांच महीने बाद कारित किया गया था। अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा सोची समझी रणनीति बनाकर योजनानुरुप जेठान पूनम का नाम लेकर अपने मेली मददगार डॉक्टर के माध्यम से शादी के बाद प्राइवेट रुप से दवा इलाज की पर्ची

बनवाया जिससे वे झूंठे तौर पर मानसिक रोग साबित कर सकें जबकि उसकी बहन किसी भी रोग से ग्रसित नहीं थी। उसके बहन के दवा इलाज की पर्ची छल से कूटरचना करके बनवाया गया है। वास्तविकता यह है कि मृतका और उसकी जेठानी दोनों का नाम पूनम है, जिसमें मृतका को अवसादग्रस्त बताया जा रहा है तथा जेठानी पूनम का निजी अस्पताल में दवा इलाज दिखाया जा रहा है और अभियुक्तगण द्वारा जेठानी पूनम के दवा इलाज का सहारा लेकर वादी की बहन को अवसादग्रस्त दिखाया जा रहा है। जबकि वादी की बहन कभी भी किसी रोग से (मानसिक रुप) पीड़ित नहीं थी। अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन पूनम की हत्या करके आत्महत्या का रुप दिया गया है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

7. उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका पूनम का चिकित्सीय प्रपत्र जारी द्वारा एस०एन०हॉस्पिटल इन्दिरामिल भदोही की प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें रोगी को नींद न आने की बीमारी, ज्यादा सोचने की बीमारी एवं अन्य बीमारियां होने की अंकना है तथा उसी चिकित्सीय प्रपत्र में हाई रिस्क पेशेंट अंकित है। इसी कागज संख्या–11ख के आधार पर पूर्व में दिनांक 18.05.2026 को किशना देवी व हरिनाथ गौतम की जमानत दिनांक 22.05.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। वादी मुकदमा द्वारा आपत्ति के साथ दस्तावेज दाखिल करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के घर में ही दो बहुएं पूनम नाम की हैं, जिनमें एक पूनम देवी आयु 28वर्ष व एक पूनम आयु 35 वर्ष है तथा दोनों आपस में देवरानी जेठानी हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका की जेठानी का चिकित्सीय प्रपत्र मानसिक रोगी होने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है। जबकि मृतका पूनम देवी के मात्र पैर का इलाज चल रहा था। मृतका पूनम देवी की हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र सहअंकपत्र की मूल प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें मृतका कु० पूनम देवी की जन्मतिथि 18.01.1993 अंकित है, जिसके अनुसार मृतका की आयु लगभग 33 वर्ष उसकी मृत्यु के समय रही होगी। उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रपत्र में रोगी का नाम पूनम अंकित है, पूनम देवी नहीं तथा रोगी की आयु 28 वर्ष अंकित है। जबकि मृतका के हाईस्कूल अंक–पत्र के अनुसार उसकी आयु 33 वर्ष थी। अभियुक्त द्वारा ही कागज संख्या–16ख/5 दाखिल किया गया है, जो कि छोटेलाल हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर बरौत प्रयागराज का डिस्चार्ज स्लिप है, जिसमें रोगी का नाम पूनम देवी आयु 25 वर्ष अंकित है, जिसमें पूनम देवी के दिनांक 25.03.2026 से 05.04.2026 तक बाएं पैर के इलाज के लिए भर्ती रहने की अंकना है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर अभी इस तथ्य का विवाद है कि अभियुक्त के घर में उसकी पत्नी मृतका व उसकी भाभी जिनका एक ही नाम है, उनमें से किसका चिकित्सीय प्रपत्र कौन सा है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल चिकित्सीय प्रपत्र दिनांकित 18.11.2025 का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उसकी बहन पूनम का विवाह दिनेश कुमार पुत्र हरीनाथ निवासी प्रजापतिपुर थाना भदोही जिला भदोही के साथ दिनांक 05.11.2025 को हुई थी। शादी में उसके परिवार, रिश्तेदार व पड़ोसियों ने मिलकर उपहार व गृहस्थी का सारा सामान व नकद रुपया दिया था किन्तु पूनम की सास कुसुम देई, ससुर हरिनाथ, जेठ संतोष व उनकी पत्नी व जेठ अशोक कुमार व उनकी पत्नी पूनम देवी व ननद सुमन जो मायके में ही रहती है, उपहार में मिले सामानों से संतुष्ट नहीं थे। पांच लाख रुपये नकद की मांग को लेकर उसकी बहन को बराबर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 27.03.2026 को उसकी बहन पूनम को उसके ससुराल वाले विदा कराके ले गये तथा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए उसे जान से मार दिया। पूनम की मृत्यु उसके ससुराल के घर में हुई है। वादी व उसके परिवार को सूचित भी नहीं किया कि पूनम की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुयी है।

9. उलेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा अभियुक्त मृतका पूनम का पति है। केस डायरी के साथ संलग्न शव विच्छेदन आख्या में मृतका की मृत्यु एसफिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग आने की अंकना की गयी है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के जमानत पर बाहर आने के बाद वादी मुकदमा एवं गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।

10. अतः प्रस्तुत प्रकरण में अब तक हुई समग्र विवेचना, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप की गम्भीरता, अपराध से सम्बन्धित तत्संभव दण्ड तथा अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त दिनेश कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–146 सन् 2026, धारा–80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–भदोही, जनपद–भदोही के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

11. चूँकि अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः इस आदेश की एक प्रति अधीक्षक, जिला कारागार ज्ञानपुर को जरिये ई–मेल भेजी जाय तथा एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाय।

दिनांक–08.06.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्याायलय
(प्रथम)/महिला उत्पीड़न, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.06.25 13:46:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court